

वैमानन्द खन्ना गुलश

85/27 गुलश

ख्या :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

आगामी पेशी पर जवाब आनश्चकक्य ले
 पेशी में आगामी जवाबका अस्वास्वतः
 बन्ध समझा आवेगा पञ्चागामी वास्ते
 जवाब जल्द हेतु दिनांक 16 ⁰⁸/₂₀₂₅ को
 पेशा हो। *अम*

सहायक कलक्टर
 आमेर मु० जयपुर

16 ⁶/₂₅

पत्रावली आज दिनांक 16/6/25
 को पेश हुई। दि. डिस्ट्रिक्ट एड. बार
 जयपुर द्वारा कन्डोलेंस की जाने से पत्र
 फूलागुसार दिनांक 23/4/25 को पेश था।

23 ⁶/₂₅

पञ्चागामी प्रकृता/वकील प्रार्थी उप। अग्रणी
 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 24 को कोर्ट
 बवाब पेश हुआ। पञ्चागामी वास्ते बन्ध लिख
 26/6/25 को पेश हो। *अम*

सहायक कलक्टर
 आमेर मु० जयपुर


26 ⁶/₂₅

पञ्चागामी प्रस्तुत। बन्ध उप। उक्त पत्र अफि
 की बहस कुरी गई। प्रार्थीगण एवं अग्रणीगण
 सहकारिता है। अग्रणीगण बिना विधि
 विनापन के उक्त आराजी को बुर्द-बुर्द एवं
 वेपान करने पर आकाडा है, यदि अग्रणीगण
 उक्त कृत्य करने में सफल हो जाते हैं तो
 प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की
 प्रबल संभावना है। अतः अग्रणीगण को
 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। --



फर्द अहकाम
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
 संभावना । संख्या

केस संख्या : 85/2024 (T-3)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>हमने पञ्चवामी का डबलौकन अधिपताद बंधवारे से संबंधित है, यदि अधिपतिगण बिना विधिगत तन्नासमें के विधिगत अ-भाग को खुद-खुद एवं बेचना करते हैं तो अधिपतिगण / वादीगण के वाद का अधिपतिगण समक्ष होने की संभावना है । अतः वाद बाधुस्यता की रोकने व उनके संरक्षण हेतु इस न्यायालय के आदेश (दिनांक 13.11.2024) को मूलवाद के निस्तारण तक रूपाई किया जाता है । उक्त रूपगत आदेश अधिपतिगण तथा सरकारी भौजनाओं पर लागू नहीं होगा ।</p> <p style="text-align: right;">पञ्चवामी केवल सुनवाईकर शक्ति इतर है ।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर आमेर जयपुर </p>